Purchase of Anti-Leprosy Drugs

990. DR. MOHAN BABU: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether a pharmaceutical company has gone to court against the Ministry of Health and Family Welfare for backing out of a contract for buying anti-leprosy drugs;

(b) if so, the facts of the case; and

(c) whether Government's anti-leprosy programme will suffer as a result of non-availability of drugs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) and (b) The matter is subjudice.

(c) No, Sir. Adcquate quantity of anti-leprosy drugs are available. WHO has also committed to give free supply till the year 2000 for the requirement of whole country.

Doctor-Nurses Ratio in the Country

991. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the international standard ratio of nurses per doctor per bed in hospitals and nursing homes;

(b) what is the Doctor-Nurses ratio in India at present and at the end of the Seventh and Sixth Five Year Plans; and

(c) what steps are being taken to improve the Doctor-nurses ratio in India to international standards?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI RENUKA CHOWDHURY): (a) Although there is no optimal Nurse-Doctor ratio, the World Development Report, 1993 recommends that nurses should exceed physicians by at least two to one.

(b) At present, the ratio of Doctor to Nurse os 1:1.14 and at the end of 6th plan and 7th plan, it was 1.57:1 and 1.24:1 respectively.

(c) The steps taken to improve the doctor-nurse ratio are:

(i) During the 8th Plan period 10 additional schools of nursing have been sanctioned to different States by the Government of India.

(ii) It is proposed to open about 50 schools of nursing during the 9th plan period.

As against the 487 Schools of nursing functioning at the end of the 7th plan period, 608 Schools are presently functioning in the country which is 24.8 percent increase over the 7th plan period.

देश में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

992. **श्री अजीत जोगी:**
श्री वी॰ हनुमंत राव:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्दों, उपकेन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा देश के दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/पिछड़ी जातियों तथा गरीब लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)**

(ख) सभी वर्गों के लोगों के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सहित मूलभूत सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करने हेतु बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम एक नई पहल के रूप में शुरू किया गया है।

राज्यों को सलाह दी गई है कि वे कम से कम 15 प्रतिशत उपकेन्द्र उन अनुसूचित जाति बस्तियों अथवा गांवों में स्थापित करें जिनमें 20 प्रतिशत अथवा इससे अधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति के लोगों की है। राज्य सरकारों को यह भी सलाह दी गई है कि वे उन अनुसूचित जाति बस्तियों के मामले में जो उपलब्ध स्वास्थ्य और परिवार कल्याण सेवा प्रदाय केन्द्रों से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिए और छूट दें। एक उपकेन्द्र एक जनजातीय बस्ती से इतनी दूरी पर स्थित होना चाहिए जहान पैदल पहुंचने में 2 या 3 घंटे से अधिक समय न लगे।

विवरण

30.6.97 को कार्य कर रहे उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपकेन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
1	आन्ध्र प्रदेश	10568	1335	207
2	अरूणाचल प्रदेश	223	47	9
3	असम	5280	619	105
4	बिहार	14799	2209	148
5	गोवा	173	18	5
6	गुजरात	7274	960	186
7	हरियाणा	2299	391	64
8	हिमाचल प्रदेश	1980	260	42
9	जम्मू व कश्मीर	1700	335	45
10	कर्नाटक	8093	1509	232
11	केरल	5094	956	80
12	मध्य प्रदेश	11937	1376	190
13	महाराष्ट्र	9725	1695	300
14	मणिपुर	420	72	16
15	मेघालय	337	81	10
16	मिजोरम	324	38	6
17	नागालैण्ड	244	33	5
18	उड़ीसा	5927	1056	157
19	पंजाब	2852	484	105
20	राजस्थान	9400	1616	261
21	सिक्किम	147	24	2
22	तमिलनाडु	8681	1436	72
23	त्रिपुरा	537	56	11
24	उत्तर प्रदेश	20153	3761	262
25	पश्चिम बंगाल	7873	1556	89
26	अंडमान व निको०	96	17	4
27	चंडीगढ़	12	—	1
28	दादरा व नगर हवे०	34	6	—
29	दमन व दीव	21	3	1
30	दिल्ली	42	8	—
31	लक्षद्वीप	14	4	3
32	पांडिचेरी	80	43	4
	अखिल भारत	136339	22010	2622

आंकड़े अंनतिम हैं।

शून्य

स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है।